न्यायालयः सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 —238/13

अनवान : —

1. रामा पत्नी रामेश्वरलाल पुत्री मघाराम जाट निवासी गढडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ :— **वादी**

ब ना म

1. सुलतान पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
2. रणजीत पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
3. नेकीराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
4. राममूर्ति पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
5. ओमप्रकाश पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
6. शांति पुत्री मघाराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
7. मैंना पुत्री मघाराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
8. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक।
9. राजस्थान स्टेट लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थितः—श्री मुंशीराम गोस्वामी वकील वादी
श्री कपूरचन्दशर्मा वकील प्रतिवादीगण
संख्या 1 से 5

निर्णय दिनांकः— 25.1.18.

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा गढडा के खाता सं0 203 के खसरा सं0 44 की 10.787है0, खसरा सं0 91 की 1.631है0 खसरा सं0 124 की 0.860है0, खसरा सं0 96 की 2.922है कुल तादादी 16.200है0 बारानी है0 बारानी कृषि भूमि वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार रौही मोजा बुढेर के खाता सं0 98 के खसरा सं0 197/1 की 0.936है0, खसरा सं0 256 की 3.035है0 कुल तादादी 8.435है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के नाम से बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी संवत 2065 ता 2068 सलंग्न वाद है। वादभूमि वादिया के पिता मघाराम की खातेदारी हुआ करती थी। वादिया की माता पिता के देहांत के बाद वादभूमि वादिया एवं प्रतिवादीगण

सं0 1 ता 7 को बहिस्सा बराबर विरासतन में प्राप्त हुई थी। वादभूमि का विरासतन इन्तकाल प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने छूपे तौर पर तन्हा अपने नाम दर्ज करवा लिया एवं वादभूमि में वादिया एवं प्रतिवादीगण सं0 6 व 7 तथा वादिया की माता के हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। वादभूमि में से 1/8 हिस्सा वादिया को अपने पिता से विरासतन मं प्राप्त हुई है। वादिया 1/8 हिस्सा की अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषि करवाने व वादभूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का अच्छी न्याऊ के हिसाब से खाता अलग करवाने का हकदार है। इसी अनुतोष का वाद वादिया ने प्रस्तुत किया है। वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण सं0 1 से 5 ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत करने हुए जवाब में कथन किया कि विवादित भूमि मघाराम की खातेदारी कृषि भूमि नहीं थी। मघाराम को उक्त भूमि मघाराम के पिता जियाराम से प्राप्त हुई थी व जियाराम को यह भूमि अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई थी, इस प्रकार विवादित भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है। उतरदातागण के पिता मघाराम ने अपने जीवनकाल में ही आज से करीब 52 वर्ष पूर्व उतरदाता प्रतिवादी सं0 1 से 5 को बराबर–बराबर भूमि बांट कर दे दी थी तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण सं0 1 से 5 अपने पिता के जीवनकाल में भुमि काश्त करते है। विवादित भूमि में प्रतिवादीगण सं0 6 व 7 व वादिया का कोई हिस्सा नहीं है। मघाराम के जीवनकाल में मघाराम व उतरदाता प्रतिवादी सं0 1 से 5 के मध्य हुए बंटवारे के मुताबिक प्रतिवादी सं0 1 से 5 अपने पिता के जीवनकाल में भूमि काश्त करते रहे है। विवादित भूमि में प्रतिवादीगण सं0 6 व 7 व वादिया का कोई हिस्सा नहीं है। मघाराम के जीवनकाल में मघाराम व उतरदाता प्रतिवादी सं0 1 से 5 के मध्य हुए बंटवारे के मुताबिक प्रतिवादी सं0 1 से 5 मघाराम के जीवनकाल में ही 1/6–1/6 हिस्सा हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे, तथा मघाराम की मृत्यु पर उसके बाहरवें पर प्रतिवादिया सं0 6 व 7 व वादिया सभी इकटठे हुए थे तथा रिश्तेदारों व बिरादरी के मध्य वादिया व प्रतिवादिया सं0 6 व 7 ने मघाराम की कृषि भूमि में अपना समस्त् हक हिस्सा स्वेच्छा से प्रतिवादी सं0 1 से 5 के पक्ष में तर्क कर दिया था। इस प्रकार विवादित भूमि में प्रतिवादी सं0 6 व 7 व वादिया का वादभूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। विवादित भूमि को मघाराम के जीवनकाल से ही प्रतिवादी सं0 1 से 5 तक बहिस्सा बराबर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादिया सं0 6 व 7 ने अपने जवाब दावा में प्रतिवादी सं0 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के कथनों का समर्थन किया है। प्रतिवादी सं0 7 व 8 ने कोई जवाब दावा पेश नहीं किया है। जिनका जवाब दावा बंद हो गया है।

पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नांकित तनकीयात कायम की गई।

1 आया कि वादिया वाद भूमि में 1/8 हिस्सा की खातेदारी काश्तकार है?

2 आया कि वादिया को अपने पिता मघाराम से भूमि विरासतन में मिली है?
3 आया कि वादिया वाद भूमि में अपना हक हिस्सा अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त अपना हक हिस्सा प्रतिवादीगण सं0 1 से 5 के पक्ष में तर्क कर दिया था?
4 आया कि वाद भूमि का मघाराम के जीवनकाल में बंटवारा हो गया एवं वाद भूमि प्रतिवादीगण सं0 1 से 5 को 1/5–1/5 हिस्सा के अनुसार प्राप्त हो गई?
5 अनुतोष?

वादिया ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं वादिया के बयान जरिये शपथ पत्र करवाए व नामांतरण पंजिका ग्राम गढडा प्रदर्श 1 व नामांतरण पंजिका ग्राम बुढेर प्रदर्श 2 व नकल जमाबंदी ग्राम बुढेर प्रदर्श 3 व जमाबंदी ग्राम गढडा प्रदर्श 4 साक्ष्य में प्रदर्शित करवाए व प्रतिवादीगण ने अपने साक्ष्य में प्रतिवादी ओमप्रकाश ने अपने बयान जरिये शपथ पत्र किऐ व प्रमाणित प्रति खसरा भूखण्ड विभाग प्रदर्श डी 1 से 6 प्रदर्शित करवाए।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोक किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों को पढकर तनकी वाईज निर्णय इस प्रकार हैः–

तनकी सं0 1 व 2 एक दूसरे से संबंधित है, तथा दोनों तनकीयात को साबित करने का भार वादिया पर है, व इसलिए उनके संबंध मे प्राप्त साक्ष्य का विवेचन एक साथ किया जाता है। इस संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध पत्रावली में वादिया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किया गया जिसमें वादिया द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा का जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसमें वादिया द्वारा उसके पिता एवं माता का देहांत कब किस सन सम्वत में हुआ कही दर्ज नहीं किया है,एवं अपने पिता की विरासत उसे कब मिली कही दर्ज नहीं किया है, व अपने दावा में भी इस विषय में कोई तथ्य दर्ज नहीं किये है, एवं इसी कम में वादिया द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में न्यायालय के समक्ष जो सशपथ कथन किये है उसमें उसने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र को स्वयं के द्वारा कोई बात नहीं लिखाना व उसको पढकर नहीं सुनाना व मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कोई हक हिस्सा की मांग नहीं करना स्वीकार किया है, तथा विवादित भूमि की बाबत कोर्ट में कोई दावा हक की बाबत-पेश करना नहीं बताया है, तथा वादभूमि प्रतिवादीगण अर्थात अपने भाईयों के नाम होने पर उसको कोई आपत्ति एव एतराज नहीं होने के कथन किये है। मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में वादिया ने अपनी आयु 100 साल होना दर्ज किया है। इस प्रकार वादिया की स्वयं की साक्ष्य के विवेचन से यह साबित होता है कि वादिया ने स्वेच्छा से न तो हक के लिए कोई न्यायालय से मांग की है व न ही न्यायालय से वह ऐसी कोई सहायता चाहती है, वादिया को अपना वाद स्वयं अपने साक्ष्यों द्वारा साबित करना था। यहां तक की इस संदर्भ में वादिया की सगी बहनें प्रतिवादिया सं0 6 व 7 है, उन्होंने भी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) भादरा(हनुमानगढ़)

वादिया के दावे का समर्थन नहीं किया है। वादीया अपनी आयु, अपने पिता की आयु, पिता की मृत्यु दिनांक/वर्ष, जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को साक्ष्यों द्वारा साबित करने में असफल रहीं है। इस प्रकार वादिया उक्त दोनों तनकीयात अपने पक्ष में साबित करने में असफल रही है, इसलिए उक्त दोनों तनकीया वादिया के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी न0 3 व 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी सं0 1 से 5 को था, चूंकि इस संदर्भ में प्रतिवादी सं0 5 ने अपने साक्ष्य न्यायाल में पेश की है, व सशपथ कथनों में वाद भूमि पुश्तैनी होना एवं उक्त भूमि उनके पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी सं0 1 से 5 को बांट कर देने का कथन किया है, एवं प्रतिवादी सं0 5 की उक्त साक्ष्य की उसकी प्रति–परीक्षा में भी कोई खण्डन नहीं हुआ है, एवं प्रतिवादिया सं0 6 व 7 जो प्रतिवादीगण व वादिया की सगी बहने है अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में भी प्रतिवादी सं0 1 से 5 द्वारा अपने जवाब दावा में प्रस्तुत तथ्यों का समर्थन किया है, तथा स्वयं वादिया ने अपनी प्रति परीक्षा में वाद भूमि अपने भाईयों के नाम दर्ज होने से कोई आपत्ति नहीं होना बताया है, एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं किया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष में मौखिक साक्ष्य तो प्रस्तुत की है मगर कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादीगण दोनों तनकीयात साबित करने में असफल रहे हैं, इसलिए उक्त दोनों तनकीयां प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

उपरोक्त समग्र तनकियों के संदर्भ में प्राप्त साक्ष्य का विवेचन करने से तनकी सं0 1 व 2 जिनको साबित करने का भार वादिया पर था, जो वादिया के विरूद्ध निर्णित की गई है, उक्त दोनों तनकीयात वादिया साबित करने में असफल रही है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है व वकील प्रतिवादीगण ने भी अपनी बहस में इसका कथन किया है कि वादिया को अपना वाद अपने पैरों पर खडा होकर साबित करना होता है, वादिया प्रतिवादीगण की कमी का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है, वादिया अपना वाद साबित करने में असफल रही है।

इस प्रकार वाद वादिया साबित करने में असफल रहने के कारण वाद खारिज किये जाने योग्य होने के कारण वाद वादिया खारिज किया जाता है।खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़)

(राजकुमार कसवा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालयः सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 –238/13

अनवान : –

1 रामा पत्नी रामेश्वरलाल पुत्री मघाराम जाट निवासी गढडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

:– वादी

ब ना म

1 सुलतान पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
2 रणजीत पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
3 नेकीराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
4 राममूर्ति पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
5 ओमप्रकाश पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
6 शांति पुत्री मघाराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
7 मैंना पुत्री मघाराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
8 स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक।
9 राजस्थान स्टेट लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादिया श्री मुंशीराम गोस्वामी व वकील प्रतिवादी सं0 1 से 5 श्री कपूरचंद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादिया अपना वाद साबित करने में असफल रहने पर वाद वादिया खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.1.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़